संख्या-11/2025/पी-120/001-38-7002 099 3 2025

प्रेषक,

अजय कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2025**

विषयः-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रुप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 10.00 करोड़ एवं मैचिंग राज्यांश रू0 6.67 करोड़ कुल रू0 16.67 करोड़ (रूपये सोलह करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5494/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2024-25, दिनांक 03.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रुप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 10.00 करोड़ एवं मैचिंग राज्यांश रू0 6.67 करोड़, कुल रु0 16.67 करोड़ (रूपये सोलह करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम किश्त की प्रथम ट्रेंच के रुप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 10.00 करोड़ एवं मैचिंग राज्यांश रू0 6.67 करोड़, कुल रु0 16.67 करोड़ (रूपये सोलह करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्यं किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन्स/निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग/व्यय में भारत सरकार के पत्र दिनांक-24.02.2025/ 28.02.2025 में अंकित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़ मात्र) की धनराशि सीडीओ प्रयागराज को कुम्भ में व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 5054043370201 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 6,67,00,000 (रुपये छह करोड़ सड़सठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 5054043378901 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या यू0ओ0-ई0-2-226-X-2024-25 दिनांक:11-03-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

संख्या-11/2025/पी-120(1)/001-38-7002 099 3 2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्याय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्यनयक) अनुभाग-1
7- श्री प्रहलाद बरनवाल (नोडल अधिकारी), संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वित्तीय स्वीकृतियों को उ0प्र0 बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से आनलाइन निर्गत किये जाने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।
8-गार्डबुक।

आज्ञा से,

अजय कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।